

श्रीमती इन्दिरा गाँधी की राजनीति उपलब्धियाँ

डॉ. नीतू सिंह तोमर*

सारांश (Abstract) वर्ष 1966 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी जिन परिस्थितियों में शास्त्रीजी की उत्तराधिकारी चुनी गयीं, वे निश्चित रूप से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण थीं। इन परिस्थितियों में श्रीमती गाँधी द्वारा प्रभावहीन रूप में अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। संसद में उनका प्रथम भाषण स्कूल छात्रा के द्वारा दिया गया भाषण जैसा था। 'इस अवसर पर दिए गए पूर्ण रूप से लिखित भाषण को स्पीकर की सहायता से ही पूरा पढ़ा जा सका।'¹

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का प्रारम्भ से ही संसद के प्रति दृष्टिकोण अवहेलनापूर्ण और संसद विशेष तथा विपक्ष का श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रति दृष्टिकोण असम्मानजनक था। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने संसद के प्रति अपने कर्तव्यों की निरन्तर अवहेलना की। दूसरी ओर संसद, विशेषतया विपक्ष के द्वारा भी उनकी व्यक्तिगत निन्दा के प्रयास किए गए। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रति विपक्ष के दृष्टिकोण का परिचय इस उदाहरण में मिलता है कि नवम्बर 1968 में सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया। इस अवसर पर विपक्ष द्वारा शासन के विरोध की स्वतन्त्रता का पूर्ण लाभ उठाया गया, लेकिन जब प्रधानमन्त्री द्वारा जबाब दिए जाने का अवसर आया, तब शोर मचाकर उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

इस पृष्ठभूमि में संसद ने प्रधानमन्त्री पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। '1966 में ग्रीष्मकालीन अधिवेशन के समस्त काल में संसद में शासन की स्थिति कमजोर और अस्थिर, लेकिन विपक्ष की स्थिति उग्र, उपद्रवी और अनुशासनहीन थी।'² अवमूल्यन वाद—विवाद, एक वरिष्ठ लोक—सेवक के विरुद्ध जाँच से सम्बद्ध भूतलिंगम विवाद, संघीय स्पात मन्त्री के रूप में सी. सुब्रह्मण्यम् के द्वारा किए गए सौदों के विरुद्ध लोक लेखा समिति की टिप्पणियाँ और विभिन्न मन्त्रियों द्वारा काँग्रेसजनों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के अनेक प्रस्तावों के कारण शासन हतोत्साहित था। प्रधानमन्त्री को कोई नियन्त्रण या दृढ़ता प्राप्त नहीं थी। उनके घनिष्ठ सहयोगियों को कठोर और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा था और जो काँग्रेसजन और राजनीतिक सम्मान के आधार पर इस स्थिति में शासन के लिए सहाय हो सकते थे, वे शासन को उपकृत करने के लिए तैयार नहीं थे।³ 1966 के शरदकालीन अधिवेशन में भी केरल में खाद्य स्थिति, पश्चिम बंगाल बन्द, मिजो पहाड़ियों में संकट और बस्तर दुर्घटना के कारण शासन को उग्र प्रहार सहन करने पड़े।

जनवरी, 1980 के लोकसभा चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिति जिस रूप में सामने आयी, उसमें प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनकी सरकार को पूर्णतया नियन्त्रित रखने में समर्थ थी। इस काल में भी सामान्यतः शासन का संसद के प्रति अवहेलनापूर्ण

दृष्टिकोण ही सामने आया है। जनवरी 1980 में नयी सरकार बनी, लेकिन मई 1980 तक राज्यसभा में इन्दिरा काँग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं था और इसी कारण राज्यसभा राष्ट्रपति के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव में ऐसे वाक्य जुड़वाने में सफल रही, जो जनवरी 1980 में पदारुण सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन जून 1980 में राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव हुए, उनमें राज्यसभा में इन्दिरा काँग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और अब लोकसभा की भाँति राज्यसभा भी शासन से नियंत्रित होने लगी। अगस्त 1984 में आन्ध्र में एन. टी. रामाराव को पदच्युत कर एन. भास्कर राव को मनमाने तौर पर सत्तारुण करने के प्रश्न पर अवश्य ही शासन को विपक्ष की कटु आलोचना और तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' को लेकर भी शासन की तीखी आलोचनाएँ हुईं।

दिसम्बर 1984 के लोकसभा चुनावों ने इन्दिरा काँग्रेस को लगभग तीन चौथाई बहुमत प्रदान किया तथा राज्यसभा में भी इन्दिरा काँग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इन्दिरा काँग्रेस संसदीय दल और संगठन पक्ष—दोनों में ही श्रीमती इन्दिरा गाँधी के पुत्र राजीव गाँधी को निर्विवाद नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हुई और देश की जनता में उन्हें भारी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इन तथ्यों ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को संसद पर लगभग पूर्ण नियन्त्रण की स्थिति प्रदान की। 31 अगस्त, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी के अंगरक्षक ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या उपरान्त उनके पुत्र राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाई गयी जिनकी बाद में आंतकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई।

मुख्य शब्द Economic—आर्थिक, Social, सामाजिक, Political राजनीतिक, Thought—विचार
Achievement—उपलब्धियाँ, India—भारत, अवहेलना—अपमान

वर्ष 1966 में श्रीमती इन्दिरा गाँधी जिन परिस्थितियों में शास्त्रीजी की उत्तराधिकारी चुनी गयीं, वे निश्चित रूप से अत्यधिक चुनौतीपूर्ण थीं। इन परिस्थितियों में श्रीमती गाँधी द्वारा प्रभावहीन रूप में अपना कार्य प्रारम्भ किया गया। संसद में उनका प्रथम भाषण स्कूल छात्रा के द्वारा दिया गया भाषण जैसा था। 'इस अवसर पर दिए गए पूर्ण रूप से लिखित भाषण को स्पीकर की सहायता से ही पूरा पढ़ा जा सका।'¹

श्रीमती इन्दिरा गाँधी का प्रारम्भ से ही संसद के प्रति दृष्टिकोण अवहेलनापूर्ण और संसद विशेष तथा विपक्ष का श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रति दृष्टिकोण असम्मानजनक था। श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने संसद के प्रति अपने कर्तव्यों की निरन्तर अवहेलना की। दूसरी ओर संसद, विशेषतया विपक्ष के द्वारा भी उनकी व्यक्तिगत निन्दा के प्रयास किए गए। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रति विपक्ष के दृष्टिकोण का परिचय

इस उदाहरण में मिलता है कि नवम्बर 19 सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा इस अवसर पर विपक्ष द्वारा शासन के विरोध स्वतन्त्रता का पूर्ण लाभ उठाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा जबाब दिए जाने का अवसर तब शोर मचाकर उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

इस पृष्ठभूमि में संसद ने प्रधानमंत्री पर नियन्त्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। 1970 में ग्रीष्मकालीन अधिवेशन के समस्त काल में शासन की स्थिति कमजोर और अस्थिर, लेकिन की स्थिति उग्र, उपद्रवी और अनुशासनहीन अवमूल्यनवाद—विवाद, एक वरिष्ठ लोक—विरोध जाँच से सम्बद्ध भूतलिंगम विवाद, स्यात मन्त्री के रूप में सी. सुब्रह्मण्यम् किए गए सौदों के विरुद्ध लोक लेखा समिति की टिप्पणियाँ और विभिन्न मन्त्रियों द्वारा केंद्र के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के अनेक प्र

का इतना इतोत्साहित था। प्रधानमंत्री को कोई भी दृढ़ता प्राप्त नहीं थी। उनके घनिष्ठ सहायकों को कठोर और असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना पड़ा था और जो कांग्रेसजन और समाजवादी सम्मान के आधार पर इस स्थिति में सहाय हो सकते थे, वे शासन को सहाय करने के लिए तैयार नहीं थे।³ 1966 के अक्टूबर अधिवेशन में भी केरल में खाद्य स्थिति, किसान बंगाल बन्द, मिजो पहाड़ियों में संकट और अन्य दुर्घटना के कारण शासन को उग्र प्रहार सहन करना पड़ा।

अगस्त आम चुनाव में लोकसभा और देश की स्थिति में विपक्षी दलों की शक्ति में वृद्धि कर प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद के संसद के नियन्त्रण को और बढ़ा दिया।

नवम्बर 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इस अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन पक्ष का श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व को चुनौती दी गई। तब कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी की शक्ति के एक प्रमुख आधार के रूप में कार्य किया। कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने 12 नवम्बर, 1969 ई. को श्रीमती इन्दिरा गाँधी का दल से निकाला और कांग्रेस संसदीय दल को नया रूप देने के लिए कहा। इसी दिन कांग्रेस संसदीय दल के 429 में से 310 सदस्य संसद के केन्द्रीय सभा में एकत्रित हुए और श्रीमती इन्दिरा गाँधी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से कांग्रेस कार्यकारिणी के इस निर्देश को ठुकरा दिया गया कि 'वे नये नेता का चुना करें।'।

नवम्बर 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती इन्दिरा गाँधी अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रही थीं। इस विभाजन से लोकसभा में पहली बार 64 सदस्यों वाली संगठन कांग्रेस को मान्यता प्राप्त विरोधी दल की स्थिति प्राप्त हुई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के पक्ष में 220 सदस्य रह गए। सरकार भारतीय साम्यवादी दल, द्रमुक और कुछ निर्दलीय सदस्यों के समर्थन पर टिकी हुई थी। मार्क्सवादी दल और संयुक्त समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी

दल गुणावगुण के आधार पर सरकार का समर्थन या विरोध कर रहे थे। इस संदर्भ में संसद में शासन की कमजोर स्थिति नितान्त स्वाभाविक थी और शासन को अनेक अवसरों पर विपक्ष के दृष्टिकोण को स्वीकार करना पड़ा। 3 सितम्बर, 1970 ई. को 'फौजदारी कानून संशोधन विधेयक' वापस लेना पड़ा और यही स्थिति उस विधेयक की हुई, जिनमें निवारक निरोधक अधिनियम को 1969 के बाद भी जारी रखने का प्रस्ताव था। 24 फरवरी, 1970 को 'अचल सम्पत्ति अधिग्रहण विधेयक' पर स्वतन्त्र दल का संशोधन स्वीकार करना पड़ा और दो दिन बाद सर्वसम्मति माँग की दृष्टि में रखते हुए तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधा देने की दृष्टि से रेलवे बजट प्रस्तावों को संशोधित किया गया। 27 फरवरी को एक संविधान में 'रबात मुस्लिम सम्मेलन' भारत की भूमिका को लेकर जिस काम रोको प्रस्ताव पर विचार हुआ, उसमें शासक पक्ष की निर्बल स्थिति और उजागर हो गयी।⁴ लेकिन सरकार को 'बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम' और 'एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार अधिनियम' पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि इसमें शासन को संसद के सभी बामपन्थी तत्वों का सहयोग प्राप्त हुआ। 1969-70 के काल में प्रधानमंत्री द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अत्यधिक और अनावश्यक रूप में प्रयोग करते हुए भी संसद की अवहेलना की गयी।

1971 के लोकसभा चुनावों ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनके दल को भारी बहुमत प्रदान कर स्थिति को परिवर्तित कर दिया। 'अब संसद से नियन्त्रित होने के स्थान पर प्रधानमंत्री ने संसद को नियन्त्रित करने की स्थिति प्राप्त कर ली।⁵ इस स्थिति में प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छानुसार कानूनों का निर्माण करवाया। अप्रैल 1971 से 1975 के चार वर्षों में संविधान में 14 संशोधन किये गये, जिनमें कुछ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण थे।

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी को संसद में बहुमत प्राप्त लेकिन 1971 के शीतकालीन और 1972 के बजट अधिवेशन को छोड़कर कभी भी वे विपक्ष की ओर से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकीं। 1974 के शरदकालीन और शीतकालीन अधिवेशन में तो

‘पाण्डचेरी लाइसेंस काण्ड’ को लेकर शासक पक्ष और विपक्ष के बीच युद्ध जैसी स्थिति देखी गयी। 5 सितम्बर, 1974 को संसद के इतिहास में (एक अशुभ दिन के रूप में) हमेशा याद किया जायेगा। सदन की नियम-प्रक्रिया, मर्यादा और अस्तित्व को लेकर इतना ज्यादा हंगामा पहले कभी नहीं हुआ। शासक पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों-प्रत्यारोपों की एक बेखौफ लड़ाई प्रारम्भ हो गयी, जैसी 22 वर्षों में कभी नहीं देखी गयी थी।⁶

26 जून, 1975 को घोषित आपातकाल की अवधि में तो श्रीमती इन्दिरा गाँधी के द्वारा संसद की ऐसी अवहेलना की गयी, जिसका उदाहरण इसके पूर्व अथवा पश्चात् के भारतीय लोकतन्त्र या अन्य किसी लोकतन्त्र में नहीं मिलता। विभिन्न विरोधी दलों के अनेक प्रमुख सदस्यों और अपने ही दल के कुछ संसद सदस्यों (चन्द्रशेखर, रामधन और मोहन धारिया) को गिरफ्तार किया गया और बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उन्हें महीनों नजरबन्द रखा गया।

21 जुलाई को संसद का अधिवेशन बुलाया गया, जो 28 जुलाई तक चलना था, लेकिन 7 अगस्त तक चला। विरोधी दलों द्वारा इस अधिवेशन का बहिष्कार किया गया। आपातकाल की घोषण के बाद इस प्रथम अधिवेशन में संसदीय व्यवहार के सभी नियमों की अवहेलना करते हुए प्रश्न पूछने, ध्यानाकर्षण या कामरोको प्रस्ताव रखने और निजी सदस्यों के विधेयक या प्रस्ताव रखने का निषेध कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि बिना किसी रुकावट के केवल कार्य किया जा सके।

संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर जो कल्पनातीत प्रतिबन्ध लगाये गये, उन्होंने संसदीय कार्यवाही का मजाक बनाकर रख दिया। सदस्यों के भाषण प्रकाशित नहीं किये जाते थे, वरन् केवल उनके नाम और दल का उल्लेख होता था। विपक्षी संसद सदस्य तो जेलों में बंद थे, उधर कल्पनातीत जल्दबाजी के साथ संविधान में महत्वपूर्ण संशोधनों का कार्य किया गया। 40वाँ संविधान संशोधन विधेयक (39वाँ संवैधानिक संशोधन) 7 अगस्त को प्रातः 11 बजे लोकसभा में प्रस्तावित किया गया। विभिन्न नियमों

को स्थगित करते हुए इसे 11 बजकर 8 मिनट को विचार के लिए जारी किया गया। धारा-प्रतिविधि विचार और आवश्यक तीन वाचन सहित इसे अगस्त 1:50 पर पारित किया गया। राज्यसभा ने दूसरे दिन बिना किसी सदस्य द्वारा विधेयक का विरोध करने जाने के पारित कर दिया। काँग्रेस बहुमत वाले सभी विधानमण्डलों का अधिवेशन 8 अगस्त को बुलाया गया और दूसरे दिन आवश्यक संख्या में विधानमण्डलों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। 8 अगस्त को इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई।⁷

आपातकाल में संसद ‘बन्धुआ संस्था’ से कुछ अधिक थी⁸ लेकिन कुछ अफसरों पर काँग्रेसी संसद सदस्यों ने भी नैतिक साहस का परिचय दिया। राज्यसभा में भोला पासवान शास्त्री ने संविधान संशोधन पर बोलते हुए सरकार को खरी-खोटी सुनाई और इस कार्य के नैतिक औचित्य को चुनौती दी।⁹ नागेश्वर शाही ने संविधान संशोधन विधेयक की अनेक धाराओं की कड़ी आलोचना की।¹⁰ आपातकाल में ही भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार दो बार प्रस्ताव पारित कर एक-एक वर्ष के लिए लोकसभा कार्यकाल बढ़ाया गया। ‘आपातकाल में वस्तुतः संसद नहीं वरन् संसद के धुँधली अशान्त छाया के द्वारा कार्य किया गया था।’

जनवरी, 1980 के लोकसभा चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिति जिस रूप में सामने आयी, उस पर प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनकी सरकार को पूर्णतया नियन्त्रित रखने में समर्थ थी। आपातकाल में भी सामान्यतः शासन का संसद के द्वारा अवहेलनापूर्ण दृष्टिकोण ही सामने आया है। जनवरी 1980 में नयी सरकार बनी, लेकिन मई 1980 में राज्यसभा में इन्दिरा काँग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था और इसी कारण राज्यसभा राष्ट्रपति के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव में ऐसे वाक्य जुड़वाने में सफल हुआ जो जनवरी 1980 में पदारुण सरकार की आलोचना करते थे। लेकिन जून 1980 में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हुए, उनमें राज्यसभा में इन्दिरा काँग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और अब लोकसभा

की स्थिति राज्यसभा भी शासन से नियन्त्रित होने लगी। अगस्त 1984 में आन्ध्र में एन. टी. रामाराव को हत्या कर एन. भास्कर राव को मनमाने तौर पर सत्तारूढ़ करने के प्रश्न पर अवश्य ही शासन की कठु आलोचना और तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। 'ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार' को लेकर शासन की तीखी आलोचनाएँ हुई।

दिसम्बर 1984 के लोकसभा चुनावों ने इन्दिरा गाँधी को लगभग तीन चौथाई बहुमत प्रदान किया। राज्यसभा में भी इन्दिरा काँग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इन्दिरा काँग्रेस संसदीय दल और राज्यसभा—दोनों में ही श्रीमती इन्दिरा गाँधी के पुत्र राजीव गाँधी को निर्विवाद नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हुई। राजीव की जनता में उन्हें भारी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इन तथ्यों ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सत्ता पर लगभग पूर्ण नियन्त्रण की स्थिति प्रदान की। 30 अगस्त, 1984 को श्रीमती इन्दिरा गाँधी के एक सैनिक ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की हत्या उपरान्त उनके पुत्र राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाई गई। उनकी बाद में आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई।

संदर्भ सूची

1. हिन्दुस्तान टाइम्स, 2 मार्च, 1966
2. रजनी कोठारी, 'इण्डिया—द कांग्रेस सिस्टम ऑन ट्राइल', एशियन सर्वे, अंक-7, फरवरी 1967, पेज-88,
3. वही
4. इण्डिया, लोकसभा डिबेट्स, फोर्थ सीरीज, अंक-33, 17 नवम्बर, 1969, कॉलमस 308-340
5. मसानी जरियर, इन्दिरा गाँधी—ए बायोग्राफी, दिलही, ऑक्सफोर्ड, 1975, पेज-290
6. दिनमान, 15 सितम्बर, 1974, पेज-16
7. कुलदीप नायर, जजमेंट, दिलही, विकास, 1977, पेज-80
8. हिरेन मुकर्जी, पोर्ट्रेट ऑफ पार्लियामेंट, पेज-141
9. चन्द्रशेखर, मेरी जेल डायरी, नई दिल्ली, सरस्वती विहार, 1977, पेज 647
10. वही।
11. इट वाज नॉट पार्लियामेंट फंक्शनिंग, बट ए पेल अन्ड्जी शैडो ऑफ इट', हिरेन मुकर्जी, वही पेज-142